



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

Uttarakhand Open University

Ref. No. UOU/R/का.परि./42/2024

Date: 21 नवम्बर, 2024

सेवा में,

1. प्रोफेसर श्रीकान्त मोहापात्रा, पूर्व कुलपति, उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी उड़ीसा एवं पूर्व सम-कुलपति, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
2. प्रोफेसर डी०पी० त्रिपाठी, पूर्व कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार एवं प्रोफेसर-वास्तुशास्त्र, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
3. डॉ० राकेश चन्द्र रस्तोगी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, खटीमा फाईबर्स लि०, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
4. श्री त्रिलोक सिंह चीमा, निदेशक-चीमा पेपर्स लि०, बाजपुर रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर।
5. प्रोफेसर संदीप सिंह रावत, निदेशक, SOCIS, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (नामित प्रतिनिधि कुलपति, इन्० नई दिल्ली)।
6. श्री दीपक कुमार, अनु सचिव, उच्च शिक्षा, (नामित प्रतिनिधि- सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. प्रोफेसर पी०डी० पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर रेनू प्रकाश, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
10. डॉ० प्रवेश कुमार सहगल, सह-आचार्य, जन्तु विज्ञान, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
11. डॉ० नीरजा सिंह, सहायक आचार्य, समाज कार्य, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
12. श्री सूर्य प्रताप सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
13. प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक 21 नवम्बर, 2024 (बृहस्पतिवार) को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की 42वीं बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

भवदीय,

(खेमराज भट्ट)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को माननीय कुलाधिपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(खेमराज भट्ट)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

दिनांक 21 नवम्बर, 2024 (बृहस्पतिवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 11.30 बजे विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न कार्य परिषद की 42वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी,
कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | अध्यक्ष |
| 2. | प्रोफेसर श्रीकान्त मोहापात्रा,
पूर्व कुलपति, उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी उड़ीसा एवं
पूर्व सम-कुलपति
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 3. | प्रोफेसर डी०पी० त्रिपाठी,
पूर्व कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार एवं
प्रोफेसर-वास्तुशास्त्र,
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली | सदस्य |
| 4. | प्रोफेसर संदीप सिंह रावत,
निदेशक, SOCIS
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
(प्रतिनिधि-कुलपति, इन्‌नू, नई दिल्ली)। | सदस्य |
| 5. | श्री दीपक कुमार,
अनु सचिव,
उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
(प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)
(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया) | सदस्य |
| 6. | प्रोफेसर पी०डी० पंत,
निदेशक,
भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |

7. प्रोफेसर रेनू प्रकाश,
निदेशक,
मानविकी विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। सदस्य
8. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे,
निदेशक,
समाज विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। सदस्य
9. डॉ प्रवेश कुमार सहगल,
सह-आचार्य, जन्तु विज्ञान,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। सदस्य
10. डॉ नीरजा सिंह,
सहायक आचार्य, समाज कार्य,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। सदस्य
11. श्री खेमराज भट्ट,
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। सदस्य सचिव
12. श्री सूर्य प्रताप सिंह,
मुख्य वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। आमंत्रित सदस्य
13. प्रोफेसर सोमेश कुमार,
परीक्षा नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। आमंत्रित सदस्य

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा कुलपति, अध्यक्ष, कार्य परिषद तथा समस्त उपस्थित सदस्यों/ आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की 42वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तदक्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित प्रोफेसर श्रीकान्त मोहापात्रा, प्रोफेसर डी०पी० त्रिपाठी, प्रोफेसर संदीप सिंह रावत, प्रतिनिधि, कुलपति, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा आभासीय

(Online) माध्यम से उपस्थित सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि श्री दीपक कुमार, अनुसचिव, उच्च शिक्षा, का विशेष आभार व्यक्त करते हुए समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की 42वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तदुपरान्त प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावों पर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:-

प्रस्ताव संख्या 42.01- कार्य परिषद की 41वीं बैठक दिनांक 30.09.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि परिषद की 41वीं बैठक दिनांक 30.09.2024 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-य००४०५०/आर/कार्य०परि०/४१/२०२४, दिनांक 30.09.2024 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि यदि कार्यवृत्त के किसी बिन्दु पर असहमति हो, किसी मद में कोई अंश छूट गया हो, अथवा कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथासमय विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया जाय।

उक्तानुसार परिचालित कार्यवृत्त पर निदेशक, शोध एवं सदस्य, कार्य परिषद, प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डेय द्वारा प्रस्ताव संख्या 41.19.02- शिक्षाशास्त्र, योग, कम्प्यूटर विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान विभाग के पीएचडी० शोधार्थियों की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न मौखिक परीक्षाओं की आख्या का अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में अंकित तालिका के क्रम संख्या-०२ पर शोधार्थी, नीता दियोलिया के पीएच.डी. मौखिक परीक्षा की तिथि में संशोधन किये जाने हेतु एक पत्र प्रेषित किया गया है। निदेशक, शोध द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार संबंधित शोधार्थी की पीएच.डी. मौखिक परीक्षा की तिथि 22.07.2024 है, जबकि कार्यवृत्त में 27.07.2024 अंकित हुई है। निदेशक, शोध द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या- 41.19.02 में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तुत पत्र के अनुसार शोधार्थी, नीता दियोलिया के पीएच.डी. मौखिक परीक्षा की तिथि को 27.07.2024 के स्थान पर 22.07.2024 किये जाने एवं कार्य परिषद की 41वीं बैठक दिनांक 30 सितम्बर, 2024 का सम्पूर्ण कार्यवृत्त माननीय कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय-

कार्य परिषद द्वारा 41वीं बैठक दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के कार्यवृत्त में प्रस्ताव संख्या- 41.19.02 में संशोधन किये जाने हेतु निदेशक, शोध द्वारा प्रस्तुत पत्र का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव से सहमत हुई। तदुपरान्त शोधार्थी, नीता दियोलिया के पीएच.डी. मौखिक परीक्षा की तिथि को संशोधित कर 27.07.2024 के स्थान पर 22.07.2024 किये जाने की सहमति दी गयी। तदक्रम में अन्य संबंधित प्रकरणों में आंशिक संशोधन किये जाने हेतु अध्यक्ष, कार्य परिषद को अधिकृत करते हुए शेष कार्यवृत्त की पुष्टि पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 42.02- कार्य परिषद की 41वीं बैठक दिनांक 30.09.2024 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

कार्य परिषद की 41वीं बैठक दिनांक 30.09.2024 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मिलित समस्त प्रस्तावों पर हुई कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा कृत कार्यवाही में सम्मिलित समस्त प्रस्तावों का अवलोकन करते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कृत कार्यवाही पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 42.03- डॉ० सूर्यभान सिंह, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान को पूर्व में स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश/धारणाधिकार की अवधि को आगामी 01 वर्ष के लिए विस्तारित किये जाने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ० सूर्यभान सिंह, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान का इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में सह-प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान के पद पर चयन होने के फलस्वरूप माननीय कुलपतिजी के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार दिनांक 10.11.2023 से दिनांक 09.11.2024 तक 01 वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश एवं धारणाधिकार कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया है। डॉ० सूर्यभान सिंह द्वारा दिनांक 08.11.2024 को ई-मेल से प्रेषित पत्र के माध्यम से अवगत किया गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में अभी उनकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण नहीं हुई है। डॉ० सिंह द्वारा पूर्व में स्वीकृत असाधारण अवकाश को धारणाधिकार सहित 01 वर्ष विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है। तदक्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार डॉ० सूर्यभान सिंह को पूर्व में स्वीकृत असाधारण अवकाश को धारणाधिकार सहित 01 वर्ष या डॉ० सिंह के इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में सह-प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान के पद पर स्थायीकरण होने, जो भी पहले हो, तक विस्तारित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।


Registrar
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी ज़िला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 42.04- विश्वविद्यालय हेतु सूनित परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्त डॉ० सोमेश कुमार की 03 वर्ष की नियुक्ति अवधि दिनांक 07.01.2025 को पूर्ण होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार संबंधित पद पर डॉ० सोमेश कुमार के कार्यकाल विस्तारीकरण के सम्बन्ध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा नियुक्ति आदेश 12(1)/XXIV-C-1/2022-19(01)/2013, दिनांक 06 जनवरी, 2022 के माध्यम से डॉ० सोमेश कुमार को विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। तदक्रम में डॉ० सोमेश कुमार द्वारा दिनांक 08 जनवरी, 2022 को विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया है। परीक्षा नियंत्रक के पद पर डॉ० सोमेश कुमार की नियुक्ति अवधि दिनांक 07 जनवरी, 2025 को समाप्त हो रही है। डॉ० सोमेश कुमार द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2024 को विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को प्रेषित पत्र के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक के पद पर उनके कार्यकाल को आगामी 03 वर्ष तक के लिए विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के कार्यकाल के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम-8 में निम्नानुसार व्यवस्था वर्णित है:-

"परीक्षा नियंत्रक का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा जिसे कार्य परिषद के अनुमोदन से अग्रेतर 3 वर्षों के लिए विस्तार किया जा सकता है।"

विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार डॉ० सोमेश कुमार की नियुक्ति कार्य परिषद की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा की गई है। तदक्रम में डॉ० सोमेश कुमार के अनुरोध पत्र के क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार परीक्षा नियंत्रक के कार्यकाल को अग्रेतर 3 वर्षों के लिए विस्तारित किये जाने पर सहमति व अनुमोदन प्रदान किया गया। तदक्रम में सूचना अवलोकनार्थ शासन को प्रेषित किये जाने का सुझाव दिया गया। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान परीक्षा नियंत्रक बैठक से अनुपस्थित रहे।

प्रस्ताव संख्या 42.05- विश्वविद्यालय में नवम दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जाने से पूर्व कार्य परिषद की अनुमति लिये जाने के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-10 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक बार दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जाने की व्यवस्था वर्णित है। इस परिनियम के अन्तर्गत विनिर्मित अध्यादेश के अध्याय ग्यारह में भी दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जाने से संबंधित विस्तृत उल्लेख है। परिनियमावली की उक्त व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय का नवम दीक्षान्त समारोह माह दिसम्बर, 2024 में दिनांक 16.12.2024 से दिनांक 21.12.2024 के मध्य में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। दीक्षान्त

समारोह की तिथि निर्धारित किये जाने हेतु माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय को विश्वविद्यालय द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में पीएचडी(शोध उपाधि) में 11 स्नातक में 9824 स्नातकोत्तर में 7259 पी0जी0 डिप्लोमा में 01 शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पीएचडी(शोध उपाधि)/स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी0जी0 डिप्लोमा स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण कुल 17095 शिक्षार्थियों को दीक्षान्त समारोह में उपाधियां एवं 24 स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने हैं जिसमें 19 नियमित स्वर्ण पदक (05 स्नातक स्तर व 14 स्नातकोत्तर स्तर), 02 कुलाधिपति स्वर्ण पदक तथा 03 प्रायोजित स्वर्ण पदक (Sponsored Medal) हैं जिनकी सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-आठ 'मानद उपाधि प्रदान करना' (धारा 5(चार)) परिनियम 36(4) में वर्णित व्यवस्थानुसार उत्तराखण्ड राज्य के 02 विशिष्ट व्यक्तियों को समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विश्वविद्यालय के नवम दीक्षान्त समारोह में मानद उपाधि (Honoris Causa) प्रदान की जानी प्रस्तावित है।

उक्तानुसार संबंधित प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2024 में प्रस्तुत किया गया था। मानद उपादि हेतु विश्वविद्यालय को प्राप्त 02 विद्वत जन- डॉ० हेम चन्द्र, पूर्व कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून तथा डॉ० वैशाली गुप्ता, फाउण्डर वैदिक वास्तु हब, देहरादून के जीवन परिचय का अवलोकन कर विद्या परिषद द्वारा मानद उपाधि हेतु प्रस्तुत विद्वत जनों के नाम अनुमोदन हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय को संदर्भित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तदुपरान्त माह दिसम्बर, 2024 में विश्वविद्यालय के नवम दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जाने के संबंध में विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2024 में प्रस्तुत संबंधित प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा की गयी संस्तुतियों को यथावत लागू किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही परिषद द्वारा दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जाने से पूर्व तक आंशिक संशोधन एवं समावेशन किये जाने हेतु अध्यक्ष, कार्य परिषद को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 42.06- शैक्षिक पदों पर आरक्षण अवधारित किये जाने हेतु गठित समिति का अवलोकन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षिक पदों को पूरित किये जाने हेतु चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है। इस क्रम में रिक्तियों को चिन्हित किये जाने से पूर्व विश्वविद्यालय के शैक्षिक पदों पर आरक्षण अवधारित किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में रोस्टर कमेटी गठित की गयी है। तदूक्रम में गठित रोस्टर कमेटी माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई तथा शैक्षिक पदों पर आरक्षण अवधारित किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 42.07- विश्वविद्यालय में नियुक्ति अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता अवधारित किये जाने हेतु
माननीय कुलाधिपति द्वारा गठित ज्येष्ठता समिति की संस्तुतियों का अवलोकन।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता अवधारित किये जाने हेतु माननीय कुलाधिपति द्वारा गठित ज्येष्ठता समिति की दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 को बैठक सम्पन्न हुई। ज्येष्ठता समिति द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षिक पदों की संवर्गवार ज्येष्ठता अवधारित की गयी है। उक्तानुसार ज्येष्ठता समिति द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षिक पदों की संवर्गवार अवधारित ज्येष्ठता सूची माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी है।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई तथा विश्वविद्यालय में नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता अवधारित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार माननीय कुलाधिपति द्वारा गठित ज्येष्ठता समिति की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 42.08- आचार्य (प्रोफेसर) एवं सह-आचार्य (सह प्राध्यापक) उच्च ग्रेड के पदों को सहायक आचार्य (सहायक प्राध्यापक) निम्न ग्रेड में परिवर्तित किये जाने के संबंध में शासन को प्रेषित पत्र के संबंध में सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों में शिक्षकों की अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में निर्धारित मानकों के सापेक्ष विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों की संख्या न्यून है। शासन को विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक पदों के संबंध में यूजीसी द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति हेतु वर्ष 2019 से निरन्तर शैक्षिक पदों के सृजन के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते रहे हैं। उक्त प्रस्तावों के क्रम में शासन स्तर पर हुई समीक्षा बैठकों में भी पदों के सृजन की मांग की जाती रही है। किन्तु आतिथि तक यूजीसी मानकानुसार शैक्षिक पदों के सृजन के प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन बना हुआ है।

उक्त के अतिरिक्त प्रोफेसर संवर्ग में पदों हेतु प्रकाशित की गयी कई विज्ञप्तियों के प्रति प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग के उपरान्त कोई अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के फलस्वरूप अधिकांश विषयों में पद रिक्त बने हुए हैं। उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में विश्वविद्यालय के रिक्त प्रोफेसर के उच्च ग्रेड के पदों को सहायक प्राध्यापक निम्न ग्रेड में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति की दशा में यूजीसी द्वारा शिक्षकों की अनिवार्यता के संबंध में निर्धारित मानकों की पूर्ति किया जाना भी उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के लिए सहज होगा। अतः उक्तानुसार शासन को प्रेषित पत्र माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन होने से कार्य परिषद अवगत हुई।

प्रस्ताव संख्या 42.09- शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु सृजित जनसम्पर्क अधिकारी पद की शैक्षिक अर्हता में संशोधन किये जाने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 101/XXIV(6)/2014-23(1)13, दिनांक 08 फरवरी, 2014 द्वारा विश्वविद्यालय हेतु जनसंपर्क अधिकारी का पद सृजित किया गया है। तदस्मय जनसंपर्क अधिकारी पद की अर्हता केवल पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में निर्धारित है। इस कारण अन्य सामाजिक विधाओं के अभ्यर्थी जनसम्पर्क अधिकारी पद हेतु आवेदन नहीं कर सकते हैं, जबकि जनसम्पर्क अधिकारी का कार्यक्षेत्र वृहद एवं सामाजिक होता है, जिसमें समाज कार्य, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विषय भी सम्मिलित किये जाने चाहिए, ताकि सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके।

निर्णय:-

प्रस्तुत प्रस्ताव का कार्य परिषद द्वारा अबलोकन कर मत व्यक्त किया गया कि जनसम्पर्क अधिकारी का कार्यक्षेत्र वृहद एवं सामाजिक है इसलिए किसी एक विषय को आधार बनाकर शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के बजाय सभी विषयों के लिए मान्य किया जाना उचित होगा जिससे सभी को समान अवसर प्राप्त हो सकें। तद्क्रम में परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जनसम्पर्क अधिकारी पद की शैक्षिक अर्हता में निम्नवत संशोधन करते हुए अनुमोदन हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। साथ ही यह भी व्यवस्था दी गयी कि जनसम्पर्क अधिकारी पद हेतु 10 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाय :-

पद का नाम	पूर्व में निर्धारित अर्हता	संशोधित अर्हता
जनसंपर्क अधिकारी	<p>1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि 55 प्रतिशत अंकों के साथ।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनसम्पर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ डिग्री 55 प्रतिशत अंको के साथ।</p> <p>2. किसी मान्यता प्राप्त प्रकाशन (आई0एस0एस0एन0/आई0एस0बी0एन0 नम्बर के साथ) से कम से कम 05 शोध पत्रों और दो पुस्तकों का प्रकाशन।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय समाचार पत्र/मीडिया चेनल में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव या किसी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में 05 वर्ष का शैक्षिक/अकादमिक कार्य का अनुभव।</p>	<p>अनिवार्य अर्हता</p> <p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि 55 प्रतिशत अंकों के साथ।</p> <p>2. अंग्रेजी, हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का समुचित ज्ञान।</p> <p>3. कम्प्यूटर में कम से कम 01 वर्ष का डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र।</p> <p>अधिमानी अर्हता</p> <p>दूरस्थ शिक्षा पद्धति में न्यूनतम 03 वर्ष करने का अनुभव।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में न्यूनतम 03 वर्ष जनसम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने का अनुभव।</p>

तद्रक्तम में कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह भी निर्णय पारित किया गया कि शासन से जनसम्पर्क अधिकारी पद की अर्हता पर अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ की जाय।

प्रस्ताव संख्या 42.10- विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 16.11.2024 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 16.11.2024 की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 42.11- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या 42.11.01- कैरियर अभिवर्धन योजना (CAS) के अन्तर्गत सहायक आचार्यों (वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11) से सहायक आचार्य(वरिष्ठ ग्रेड/अकादमिक स्तर 12) में प्रोन्नति हेतु छानबीन-सह मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 28(1) में कैरियर अभिवर्धन योजना हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता एवं समयावधि को लागू किये जाने का उल्लेख है। इस व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु परिनियम 29(1) में वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति के गठन का भी उल्लेख है।

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018 जिसे उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1424/XXIV(4)/2019-01(28)/2016, दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा अंगीकृत किया गया है, में वर्णित व्यवस्थानुसार कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत सहायक अचार्यों को अर्हता तिथि से वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11 से अकादमिक स्तर 12 अनुमत्य कराये जाने हेतु गठित वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13 नवम्बर, 2024 को विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुई। समिति की संस्तुतियाँ सील बन्द लिफाफे में माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय:- प्रस्ताव के क्रम में कार्य परिषद के सम्मुख सील बन्द लिफाफा खोला गया परिषद द्वारा अवलोकनोपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्न सहायक आचार्य को पात्रता की तिथि से वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य किये जाने हेतु गठित वरिष्ठ वेतनमान संबीक्षा समिति की संस्तुतियों पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया:-

क्रम संख्या	संबीक्षा समिति की बैठक की तिथि	नाम एवं पदनाम	पात्रता की तिथि जिससे वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य हुआ है
1.	13 नवम्बर, 2024	डॉ० अखिलेश सिंह, सहायक आचार्य, पर्यटन	18 अगस्त, 2024

प्रस्ताव संख्या 42.11.02- कैरियर अभिवर्धन योजना (CAS) के अन्तर्गत सह-आचार्य (अकादमिक स्तर-13क) से आचार्य (अकादमिक स्तर 14) में प्रोन्ति हेतु चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2018 के प्रस्तर 10.0 तदनुसार उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1424/XXIV(4)/2019-01(28)/ 2016, दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा अंगीकृत विनियम 2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सह-आचार्य(अकादमिक स्तर-13क) से आचार्य (अकादमिक स्तर 14) में प्रोन्ति किये जाने हेतु चयन समिति की बैठकें दिनांक 20 नवम्बर, 2024 को विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुई। समिति की संस्तुतियां सील बन्द लिफाफों में माननीय कार्य परिषद के सम्मुख खोले जाने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

निर्णय:- प्रस्ताव के क्रम में कार्य परिषद के सम्मुख सील बन्द लिफाफे खोले गये तथा परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित 02 सह-आचार्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम-2018 में वर्णित कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत पात्रता की तिथि से अकादमिक स्तर 14 में पदनाम सहित प्रोन्ति किये जाने हेतु गठित चयन समिति की संस्तुतियों पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया:-

क्रम सं०	नाम	पदनाम	विषय	अकादमिक स्तर 14 में पदनाम (आचार्य) सहित प्रोन्ति की तिथि
1.	डॉ० कमल देवलाल	सह-आचार्य	भौतिक विज्ञान	03.07.2024
2.	डॉ० अरविन्द भट्ट	सह-आचार्य	गणित	29.10.2024

बैठक के अन्त में कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि दिनांक 19 व 20 दिसम्बर, 2024 को विश्वविद्यालय में य०जी०१२३ी० १२वी की मान्यता हेतु निरीक्षण की तिथि प्रस्तावित है। तदक्रम में संबंधित सूचना से अवगत होते हुए परिषद द्वारा प्रशंसा व्यक्त की गयी।

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्य परिषद के सदस्य सचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में कार्य परिषद के समस्त माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर, बैठक सम्पन्न हुई।


कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद
Registrar
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)


कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)